न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	25.02.2025	25.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता निवासी कुण्डों का रास्ता पुराना बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक।

2– मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक।

3–श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद निवासी 265, Kutubpur vill-Baheri, Bareilly,U.P. नॉमिनी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह0 बस्सी जिला जयपुर।

4–मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह0 बस्सी जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 श्री भागचन्द बैरवा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 25/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.04.2015 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महेश कुमार यतीश कुमार कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 10 कार्टूनों में **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** की 500 एम.एल. पैक की बोतलें रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता को फार्म नं 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता व मवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में कागज के 10 कार्टूनों में रखे **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 10 एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2014 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500 एम.एल. पैक की 4 बोतले वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** 500 एम.एल. पैक की 4 बोतले के नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागो के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–968 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व मवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं आई–968 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य कारोबारकर्ता श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुदर्शन गुप्ता ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री हरि एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट मनेसर खेडी (बेनाडा रोड) तह0 बस्सी जिला जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1755 दिनांक 26.05.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/228/एक्ट/2015/228 दिनांक 30.04.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। अप्रार्थी सं. 3 व 4 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिरा **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोयाबीन रिफाईण्ड तेल (स्कूटर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0